रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1825] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2010/भाद्र 10, 1932

No. 1825] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2010/BHADRA 10, 1932

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2166(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, गोवा राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री एस. बी. फारिया, अधिवक्ता को, एतद्द्वारा, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17015/4/2010-आई एस-I]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2166(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri S.B. Faria, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Goa.

[F. No.17015/4/2010-IS-I]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2167(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, महाराष्ट्र राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए सुश्री रोहणी सालियन, अधिवक्ता, बम्बई उच्च न्यायालय को, एतद्द्वारा, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17015/4/2010-आई एस-I]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Uttarakhand.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2011

का.आ. 1456(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए उत्तरी गोवा में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण गोवा राज्य में होगा।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]
धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2011

S.O. 1456(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of the Sessions Judge at North Goa as the Special Court for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Goa.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2011

का.आ. 1457(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए सत्र न्यायाधीश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली में होगा।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]
धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2011

S.O. 1457(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of the Sessions Judge, Dadara and Nagar Haveli at Silvassa as the Special Court for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Dadara and Nagar Haveli.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2011

का.आ. 1458(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए सत्र न्यायाधीश, दीव के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दीव में होगा।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]
धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2011

S.O. 1458(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of the Sessions Judge at Diu as the Special Court for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Diu.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2011

का.आ. 1459(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए सत्र न्यायाधीश, दमण के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दमण में होगा।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]
धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2011

S.O. 1459(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of the Sessions Judge at Daman as the Special Court for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Daman.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2782(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I का न्यायालय, पटना को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2158(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के नाम की संस्तुति की है;

अत:, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2782(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Additional District and Sessions Judge-I, Patna, as, the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Bihar *vide* notification number S. O. 2158(E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Patna has recommended the name of Shri Suresh Chandra Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Patna to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Suresh Chandra Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Patna as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2783(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, नार्थ गोवा को दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1456(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण गोवा राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मुम्बई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री प्रदीप सवाईकर, जिला न्यायाधीश-1 एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मपुसा, जिला पणजी के नाम की संस्तुति की है;

अत:, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री प्रदीप सवाईकर, जिला न्यायाधीश-1 एवं अपर सत्र न्यायाधीश मपुसा, जिला पणजी को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2783(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Sessions Judge, at North Goa, as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Goa *vide* notification number S. O. 1456(E), dated the 25th June, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay has recommended the name of Shri Pradip Sawaikar, District Judge-I, and Additional Sessions Judge, Mapusa, District Panji, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Pradip Sawaikar, District Judge-I and Additional Sessions Judge, Mapusa, District Panji as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.